La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi Fondamentali

Traduzione in Urdu (Pakistan)

a cura di Zaheer Anjum

Traduzione in Hindi (India)

a cura di Yoggita Marazzi

Traduzione e stampa

ROTARY CLUB CARPI

Introduzione

La nostra costituzione, il 1° gennaio prossimo, compirà cinquanta anni, e alcuni dicono che li dimostra tutti e che avrebbe bisogno di qualche ritocco.

E' possibile, anzi è certo: la vita è in continua evoluzione, e la società cambia continuamente.

Le leggi di conseguenza (costituzione compresa), non possono nè debbono restare immutabili, e debbono prendere atto dei cambiamenti ed adeguarsi ad essi.

La nostra carta costituzionale non è stata "concessa" per volere di un re, di un governante, ma è il risultato dell'opera dei rappresentanti (i costituenti, per l'appunto) liberamente eletti dal popolo italiano, portatori delle esigenze, delle speranze, degli aneliti, anche degli interessi (inutile negarlo) delle varie correnti di pensiero presenti nel consesso: dal loro dialogare, dalle varie versioni proposte, è nata la costituzione, promulgata il 22 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Alcune parti di essa, come si è detto, potranno essere modificate, niente è immutabile, ma vi sono dei principi del vivere civile, del *nostro* vivere civile, che non possono cambiare, perchè sono, e riteniamo siano, dei valori assoluti dai quali non si può prescindere.

La pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, *senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,* è un principio fondamentale di libertà e di giustizia al quale siamo pervenuti dopo secoli di contrasti, di lotte, di guerre più o meno fratricide, ma è il fondamento della nostra civiltà e, di conseguenza del nostro modo di vivere.

La libertà personale, il domicilio sono inviolabili.

Il diritto di riunione, e di associazione sono garantiti, tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, *di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto.*

Noi crediamo nella libertà del singolo cittadino, e questo è il fondamento vero della nostra nazione e della nostra civiltà: tale libertà, senza nessuna distinzione è riconosciuta a qualsiasi cittadino italiano e a qualsiasi straniero che, per motivi di lavoro, di studio (o per qualsiasi altro motivo) soggiorni o risieda in Italia, per periodi di tempo più o meno lunghi.

Riconosciamo questi diritti a tutti, chiediamo che tutti ne siano consapevoli, che tutti nè godano, che permettano a tutti di goderne.

02 Giugno 2007 *Riccardo Pelliciardi*

इटली गणराज्य का संविधान

संविधान के बुनियादी सिद्धान्त

दफा 1

इटली एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है जो के काम पर आधारित है । संपूर्ण प्रभुता प्रजा के हाथ में है और प्रजा उसका उपयोग संविधान की सीमा के अन्दर किसी भी प्रकार से कर सकती है।

दफा 2

यह गणराज्य हर मनुष्य के कभी ना नष्ट हो सकने वाले अधिकारों को मानता है और उनकी जिम्मेदारी लेता है, चाहे वह मनुष्य अकेला है या वह किसी सामाजिक समूह का हिस्सा है, जहाँ उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है । प्रजापालित राज्य इस बात की आशा करता है हर नागरिक सभी राजनीतिक , आर्थिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करे।

दफा 3

सभी मनुष्यों की बराबर समाजिक मर्यादा है और सभी कानून की नज़रो में एक समान है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, राजनितिक विचार धारा, आर्थिक व समाजिक स्थिति से संबंध रखते है।

इस गणराज्य का कर्तव्य है के वह नागरिको की आर्थिक व समाजिक कठनाई को दूर करे जो उनकी की आज़ादी व सामानता को सीमाबंद्ध करता है , उनके मानविक व्यक्तित्व की उन्नति में बाधा डालता है और किसी भी प्रकार से कार्यकर्ताओ को राजनितिक ,आर्थिक व समाजिक संगठनो में हिस्सा लेने से रोकता है ।

दफा 4

गणराज्य हर नागरिक के काम करने के अधिकार को मानता है और उन सब प्रबंधो व संस्थाओ को बढ़ावा देता है जो के इस अधिकार को सफल बनाने में मदद देता है।

हर नागरिक का यह कर्तव्य के वह अपनी क्षमता और चाहत अनुसार, कोई ऐसा काम करे जो के समाज की आर्थिक उन्नति व कुशल अवस्था में सहयोग दे सके ।

दफा 5

गणराज्य एक और अविभाज्य है, लेकिन वह क्षेत्रीय स्वयं शासन को मानता है और उनकी उन्नति में मदद करता है, जो सेवाएँ राष्ट्रीय सरकार प्रदान करती है उन्हें स्थानीय प्रशासन में बाटँ दिया गया है और केन्द्रीय सरकार अपने सिद्धान्तो व कार्य प्रणाली को स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को नज़र में रखते हुए बनाती है ।

दफा 6

गणराज्य कम संख्या वाले भाषिक समुदाय को उपयुक्त पद्धति से सुरक्षित करता है।

दफा 7

राष्ट्र सरकार और कैथोलिक चर्च अपने दरजे की दो मुख्य और स्वतन्त्र शक्तियाँ है ।

उनके बीच के संबंध लेटेरन समझौते(Lateran Pacts) द्वारा नियमित किया गया है। इस समझौते में किसी परिवर्तन को दोनो दल मानते है और उस परिवर्तन के लिए संविधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है।

दफा 8

हर धार्मिक प्रतीति कानून की नज़रो में स्वतन्त्र और समान है।

कैथोलिक चर्च के सिवा, बाकी सभी धार्मिक प्रतीति को पूरा अधिकार है के अपने संघटन-विधान अनुसार अपने को नियोजित करे जब तक वह इटेलियन कानून दफा के खिलाफ ना हो ।

दफा 9

गणराज्य,हर प्रकार के सांस्कृतिक एंव वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय पुश्तैनी, ऐतिहासिक व कलात्मक संपत्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी लेता हैं।

दफा 10

इस देश का कानूनी प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए सभी निर्देशो व कायदो के समुचित है ।

हर विदेशी की न्यायिक अवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय संधि व उनसे सम्बन्धित नियमानुसार, हिसाब लगाया जाऐगा

अगर किसी विदेशी को उसके देश में प्रजातान्त्रिक आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी जिसे इटेलियन संविधान स्वीकार करता है तो उसे इस देश में शरणार्थी अवस्था पाने का अधिकार है। यह अधिकार कानूनी प्रंबध द्वारा स्थापित किए गये हैं।

राजनीतिक कारणों से किसी भी विदेशी को प्रत्यार्पण यानि वापस नहीं भेजा जा सकता।

दफा 11

इटली देश युद्ध को किसी राष्ट्र की जनता की आज़ादी पर हमला करने का एंव अन्तर्राष्ट्रीय विवादो को हल करने का माध्यम बनना, नामञ्जूर करती है । इटली देश , बाकी देशों के साथ बराबरी में मानती है के एक ऐसे शक्तिमान संघटन की जरूरत है जो के दुनिया के सभी के बीच शांति न्याय बनाए रखे । इटली देश ऐसी सभी संघटनो को प्रोत्साहन व मदद देती है जो के इस उद्देश्य को नज़र में रखते हुए काम करते हैं।

दफा 12,

इटली गणराज्य का झंडा तीन रंगो से बना है। हरा , सफेद व लाल रंग लम्बवर्त, बराबर नाप वाली तीन पट्टीयों में इस झंडे में मौजूद होती है।

पहला हिस्सा

नागरिको के अधिकार व जिम्मेदारियाँ

विषय 1

वैधानिक अधिकार व जिम्मेदारियाँ

दफा 13

निजी आज़ादी हर व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी निरीक्षण या व्यक्तिगत तहकीकात किसी भी व्यक्ति की निजी आज़दी पर नहीं करी जा सकती । तहकीकात की आज्ञा सिर्फ तब है, जब के न्यायिक अधिकारी ने कानूनी विधि व लक्ष्य के लिए पुष्ट वारंट को प्रचलित किया गया है।

आपातकालीन अवस्था में कानून कायदो के तहत न्याय संरक्षण अधिकारी ,सिर्फ अस्थाई समय के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं, लेकिन इसकी खबर 48 घंटे के अन्दर अन्दर न्यायिक प्राधिकरण को देनी आवश्यक है। अगर न्यायिक प्राधिकरण ने कदमों को जरूरी ना समझा तो इन्हे फौरन रद्द कर दिया जाएगा और यह निष्प्रभाव हो जाऐंगे ।
किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा जो कि उसकी निजी आज़ादी के खिलाफ है एक कानूनी गुनाह माना जाऐगा ।

दफा 14

व्यक्तिगत घर हर व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी निरीक्षण, विरोध, कब्जा और तलाश किसी भी घर पर नहीं करी जा सकती, यह सिर्फ तभी संभव है जब यह कारवाई कानून के तहत व निजी आज़ादी को नज़र में रखते हुए करी जाए।

जनता की सुरक्षा व सेहत को नज़र में रखते हुए या आर्थिक एँव शुल्क संबंधित कारणों से जाँच पड़ताल की जा सकती है लेकिन उसे विशेष कानूनों द्वारा सीमाबंद्ध किया गया है।

दफा 15

पत्रव्यवहार व हर प्रकार के संपर्क -साधन को गुप्त रखने की आज़ादी है और इसका उल्लघंन नहीं किया जा सकता ।

इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, सिर्फ न्याय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित वारंट के द्वारा जो के हर नज़र से कानून के सीमाबंधन मे होना चाहिए ।

दफा 16

हर नागरिक, देश के किसी भी हिस्से जाने और रहने का अधिकार रखता है, सिवाय आम पाबन्दी के, जो कि कानून ने जनता की सुरक्षा और सेहत को नजर में रखते हुए बनाई है। लेकिन राजनितिक कारणों से पाबन्दी लगाने की आज्ञा नहीं है।

हर नागरिक को देश के बाहर जाने और वापस आने का अधिकार है, बशर्ते हर कानूनी कार्यवाही को पूरा किया गया हो।

दफा 17

नागरिको को बिना शस्त्र, शांतिपूर्वक ढ़ंग से इकट्ठा/ एकत्रित होने का पूरा अधिकार है

सभा के लिए अनुमति लेना आवशयक नहीं है ,चाहे यह सभा ऐसे स्थान पर हो ,जहाँ सभी लोगो को जाने की इज़ाज़त है।

सार्वजनिक स्थान पर सम्मेलन करने के लिए न्याय अधिकारी से अनुमति लेना आवशयक है ताकि अगर वह सम्मेलन को जनता की सुरक्षा या अच्छाई के खिलाफ माने तो, वह उसे रद्द करने का अधिकार रखता है।

दफा 18

नागरिको को अधिकार है के वो बिना अनुमति, आज़ादी से संघ बना सके, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो के दण्डनीय कानून के तहत हर व्यक्ति पर निषिद्ध है।
हर वह सभा या गुप्त संस्था जो किसी भी तरह अपने राजनितक उद्देश्यो को पूरा करने के लिए लिए फौजी –व्यवस्थापन रखती है , इस देश में निषिद्ध हैं।

दफा 19

हर व्यक्ति को खुले आम अपने धार्मिक विश्वास, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसको व्यक्तिगत ढंग से या किसी सभा में फैलाने का अधिकार है।
हर व्यक्ति को अकेले में या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने धर्म अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार है बशर्ते उसकी रस्म सार्वजनिक नीति के खिलाफ ना हो।

दफा 20

हर गिरजाघर स्वाभाविक या धार्मिक रस्म को बरकरार रखने के उद्देशय से बनाई संस्था को विषेश कानूनी सीमाबंधी द्वारा नियन्त्रित रखना आवश्यक नहीं है, उनके संस्थापन और उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का विषेश शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

दफा 21

हर व्यक्ति को किसी भी रूप में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी भी संचार माध्यम से प्रकट किया जाए।
अख़बारो(प्रेस) को किसी भी प्राधिकृति व सेंसर द्वारा नियन्त्रित रखना आवश्यक नहीं है।

किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रकाशित मान्य वारंट होने पर ही प्रेस पर जब्ती की जा सकती है। यह उन हालत में प्राधिकृत है जब प्रेस संबंधी कानूनों का उल्लंघन हुआ हो या फिर किसी अपराध के उत्तरदायी व्यक्तियो का नाम प्रकाशित किया जाए ।

आपातकालीन अवस्था में जहाँ न्यायिक अधिकारी कर्तव्य नहीं निभा सकते, उस अव्सथा में सामयिक प्रकाशन पर पुलिस को छापा /जब्ती करने की अनुमति है।लेकिन उन्हे इस की जानकारी 24 घंटे के अन्दर अन्दर न्यायिक प्राधिकरण को देनी आवश्यक है। है। अगर न्यायिक प्राधिकरण ने कदमों को अगले 24 घंटे में निश्चित ना किया तो इन्हे फौरन रद्द कर दिया जाएगा और यह निष्प्रभाव हो जाऐंगे।
कानून, साधारण कायदो द्वारा यह स्थापित करता है के सामयिक प्रेस को अपने आर्थिक स्रोत के बारे में सूचना देनी होगी।
हर लिखित प्रकाशन , सार्वजनिक प्रोग्राम व वृत्तांत जो किसी रूप में जनता की न्यायता को ठेस पहुचाँए वर्जित है ।
कानून ने उचित प्रबंध किए है जिससे हर अपराध को निषेध और दमन किया जा सके।

दफा 22
किसी भी व्यक्ति को धन सम्बन्धी या फिर राजनीतिक कारणो से, उसके कानूनी अधिकारों, नागरिकता और नाम से वंचित नहीं किया जा सकता ।
दफा 23
किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक या धन सम्बन्धी सेवा नहीं थोपी जा सकती , सिवाय जब यह कानून द्वारा निश्चित किया गया हो।
दफा 24
हर व्यक्ति, व्यक्तिगत अधिकारो बरकरार रखने के लिए व जायज हक पाने के लिए न्यायिक कार्यवाही कर सकता है

न्यायिक कार्यवाही के दौरान प्रतिवाद/ रक्षा करने के अधिकार का किसी भी अवस्था और स्तर पर उल्लघंन नहीं किया जा सकता।
निर्धन को सुनिश्चित, उचित माध्यमों द्वारा, कार्यवाही के साधन दिए जाऐंगे ताकि वह भी हर अदालत में अपने अधिकारो का पाने के लिए उचित कदम उठा सके।

न्यायिक भूल होने पर कानून मुहाफज़े का रूप व साधन निर्धारित करता है ।

दफा 25

कोई भी व्यक्ति अपना कानून द्वारा निश्चित ,न्यायिक क्षेत्र नहीं बदल सकता।
हर व्यक्ति को सिर्फ कानून की किसी धारा के तहत सज़ा दी जा सकती है , लेकिन यह कानून अपराध के पूर्व बना होना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति पर सीमा बंधन नहीं लगाया जा सकता , सिवाय जब यह कानून द्वारा निश्चित किया गया हो।

दफा 26

किसी भी नागरिक का प्रत्यार्पण तभी मुमकिन है जब यह किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के तहत है।
राजनीतिक अपराधों के लिए किसी भी नागरिक का प्रत्यार्पण यानि वापस भेजना मुमकिन नहीं है।

दफा 27

अपराध का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होता है।

प्रतिवादी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ,को न्याय ऐलान होने तक मुज़रिम नहीं माना जा सकता ।

सज़ा किसी भी प्रकार का क्रूर बर्ताव नहीं हो सकती और उसका उद्देश्य मुज़रिम के व्यक्तित्व का पुनर्सुधार होना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, इसकी आज्ञा सिर्फ जंग के दौरान फौजी कानून के तहत दी गई है।

दफा 28

अगर सरकारी या प्रादेशिक समाजिक अफसर या कर्मचारी ने किसी कार्य से कानून भ्रष्ट किया है तो वह दंडसंबंधी, वैधानिक और प्रशासनिक कानून के तहत ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता हैं और ऐसी दशा में वैधानिक उत्तरदायित्व सरकारी या प्रादेशिक समाजिक दफ्तर का भी होगा।

विषय 2

नैतिक और सामाजिक अधिकार व जिम्मेदारियाँ

दफा 29

यह गणराज्य परिवारो के अधिकार, शादी पर आधारित ,प्राकृतिक समाज को देती है ।
कानून अनुसार पति- पत्नी की नैतिक और न्यायिक समानता शादी का आधार है, व यह समानता परिवार की एकता को गारंटी प्रदान करती है।

दफा 30

यह माता-पिता की जिम्मेदारी व अधिकार है के वह अपने बच्चो को शिक्षा दे और बड़ा करे, चाहे वह बच्चे शादी के बंधन से बाहर पैदा हुए हो।
अगर माता-पिता यह जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं तो कानून इस का प्रबंध करेगा,ताके कोई और उनकी जिम्मेदारी संभाले।
शादी के बंधन से बाहर पैदा हुए बच्चों को भी कानून सभी अधिकारो व सुरक्षा का हकदार मानता , लेकिन वह अधिकार किसी परिवार के सदस्य के अधिकारों को खिलाफ नहीं होने चाहिए।

कानून ने पितृत्व को पता करने संबंधी, कायदे व सीमा भी नियमित की है।

दफा 31

यह गणराज्य, आर्थिक रूप में व अन्य लाभ साधनो द्वारा परिवारो की रचना व कर्तव्य पूर्ति में मदद करता है, खासकर उन्हें, जिन परिवारो में ज्यादा सदस्य हैं ।

मातृत्वता, बचपन व किशोरावस्था की आवश्यक संस्थापनो व उपायो, द्वारा रक्षा करता है।

दफा 32

यह गणराज्य, स्वस्थ्य जीवन हर नागरिक का बुनियादी अधिकार मानता है और यह समझता है के यह समाज की भलाई के लिए भी बहुत जरूरी है और बीमार लोगो को मुफ्त इलाज देने की जिम्मेदारी लेता है।

किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती कोई इलाज नहीं किया जा सकता अगर उसका प्रबंध कानून द्वारा ना किया होतो, लेकिन फिर भी कानून व्यक्तिगत अधिकारो का उल्लंघन नहीं कर सकता।

दफा 33

कला-कारीगरी और विज्ञान क्षेत्र ,स्वतंत्र हैं एंव उसकी शिक्षा भी सब को स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है।

इस गणराज्य ने हर दरजे , शाखा और स्तर की शिक्षा, और शिक्षा-संस्था संबंधी आम कायदे बनाए है।

सत्त्व और अप्रकट व्यक्तियों को विद्यालय व शिक्षा-संस्था बनाने का अधिकार है,लेकिन वह सरकार पर बोझ नहीं होना चाहिए।

कानून ने, उन विद्यालयों व शिक्षा-संस्थों के अधिकार व कर्तव्य स्थिर किए है जो के समतुल्यता मांगते हैं , इन कायदो के अनुसार उन्हे अपने विध्यार्थीयो को स्वतंत्र रूप व ढंग से शिक्षा देने का अधिकार है लेकिन उसका स्तर सरकारी विद्यालयों के बराबर होना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा द्वारा ही शिक्षा-संस्थों के विभिन्न शाखाओं व दरजों में दाखिला या उपाधि (ग्रैजुएशन) मिल सकती है, जिससे आप को किसी भी व्यवसाय करने की योग्यता प्राप्त होती है।

वह शिक्षा-संस्थों जैसै के उच्च विद्यालय, आकेदमी या विश्वविद्यालय उनको स्वतंत्र रूप से अपने कायदे बनाने का अधिकर है लेकिन यह कायदे कानून द्वारा स्थापित सीमा के अधीन होने चाहिए।

दफा 34

विद्यालय सभी के लिए खुली हुई है ।

प्राथमिक शिक्षा जो के आठवीं कक्षा तक चलती है, सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त है।

योग्य व पात्र विध्यार्थीयो, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें भी उच्च विद्या पाने का पूरा अधिकार है।

यह गणराज्य छात्रवृत्ति, परिवरों के लिए भत्ता व अन्य लाभों के रूप में योग्य विध्यार्थीयो की मदद करेगा । इन छात्रों की योग्यता राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं द्वारा परखी जाऐगी।

पाठ 3

दफा 35

यह गणराज्य काम के हर रूप और संप्रयोग की रक्षा करता है।

वह कर्मचारियों की व्यवसायी उन्नति के लिए और प्रशिक्षण कोर्स का प्रंबध करता है।

वह हर अन्तर्राष्ट्रीय संधि और संस्था को प्रोत्साहन व सहारा देगा जो मजदूरो के हक को विधिवत करते हैं, या बढावा देते हैं।

यह गणराज्य अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में बसने की आजादी भी देता है, अगर इससे सार्वजनिक हित पर और अन्तर्राष्ट्रीय बजार में इटेलियन व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े ।

दफा 36

कर्मचारियों को परिश्रम और समय अनुसार तन्खा पाने का अधिकार है, यह तन्खा उन्हे और उनके परिवार को आज़ाद और इज्ज़तदार जिंदगी देने के काबिल होनी चाहिए।

परिश्रम के अधिकतम घंटे कानून द्वारा स्थायी किऐ गऐ हैं।

उन्हे हर हफ्ते में एक दिन छुट्टी और वेतनभोगी सालाना छुट्टीयाँ पाने का अधिकार है , इस अधिकार का किसी भी प्रकार उल्लघंन नहीं किया जा सकता ।

दफा 37

हर स्त्री कर्मचारी,जो पुरूष के बराबर काम करती है, उसे सम तन्खा और पूरे अधिकार मिलने चाहिए। काम का व्यवस्थापन इस प्रकार होना चाहिए के स्त्री अपने परिवार के प्रति जरूरी कर्त्वय निभा सके, एँव मातृत्वस्था और बालावस्था को विशेष रूप से संरक्षण मिले सके।

यह गणराज्य नाबालिग के काम को विशेष कायदो द्वारा संरक्षित करता है और बराबर काम करने पर, सम तन्खा पाने का अधिकार देता है।

दफा 38

हर नागरिक जो किसी भी वजह से काम करने के लायक नहीं और जिसके पास अस्तित्व के साधन नहीं हैं उसे निर्वाह के लिए समाजिक सहायता प्रदान की जाऐगी।

कर्मचारियों को बीमाकृत व संरक्षित होने का पूरा अधिकार है ताके दुर्घटना,बीमारी, अयोग्यता, वर्धावस्था और अनिच्छुक बेरोजगारी की हालत में उन्हे निर्वाह के साधन मिलते रहे।

विकलांग या अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स पाने का अधिकार है।

कायदो में लिखे यह अधिकार, उन संस्थाओं और संघटन द्वारा दिलवाऐ जाऐंगे जिन्हे राज्य का समर्थन प्राप्त है या जिनकी स्थापना इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए की गई है ।

निजी बीमा लेने का हर व्यक्ति को अधिकार है
दफा 39

यूनियन संगठनो को पूरी आज़ादी है।

यूनियन संगठनो पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ उन्हे कायदो के अनुसार राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री करवानी चाहिए।
रजिस्ट्री करवाने की यही शर्त है, के यूनियन अपना आंतरिक विधान लोकतांत्रिक विधि से बनाए।

वह यूनियन संगठन जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है कानूनी संस्था माने जाऐंगे। वह एकीकृत रूप में अपने सदस्यों की संख्या अनुसार, सार्वजनिक काम संबंधी नियम-पत्र बनवा सकते हैं ,इस नियम पत्र (कोनट्रेकट)का उद्देशय उस श्रेणी के हर सदस्य को लाभ दिलावाना होना चाहिए ।

दफा 40
हड़ताल करने के अधिकार को कानूनी नियमानुसार ,सीमाबंधित किया गया है ।

दफा 41

व्यक्तिगत आर्थिक व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है ।

लेकिन यह व्यवसाय किसी भी प्रकार सामाजिक हित या सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए और इससे किसी की निजि आज़ादी और मर्यादा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए।

कानून ने ऐसे प्रोग्राम व नियंत्रण बनाऐ है जिनके द्वारा हर सार्वजनिक और व्यक्तिगत आर्थिक व्यवसाय को सामाज के लाभ हेतु संयोजित और अभिविन्यस्त किया जा सके।

दफा 42

हर संपत्ति, सार्वजनिक या फिर व्यक्तिगत होती है । आर्थिक पूंजी ,राष्ट्रीय, किसी संस्था की या फिर व्यक्तिगत हो सकती है।

व्यक्तिगत संपत्ति कानून द्वारा मान्य और संरक्षित है, जो के उसकी खरीद ,इस्तेमाल और परिमितता को सुनिश्चित करता ताके वह सार्वजनिक रूप में प्राप्य हो सके।

सामाज के लाभ हेतु, किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को ,कानून द्वारा निश्चित किए गए हालात में हरजाना दे कर ज़ब्त किया जा सकता है।

कानून ने कायदे और सीमाएँ बनाई है, जो की विरासत, वसीयत और इस विषय संबंधी सरकार के अधिकारो को भी सपष्ट करते है।

दफा 43

विशेष उद्योग या किसी श्रेणी के उद्योग जैसै की सामाजिक सेवा संबंधी विभाग, शक्ति स्रोत या विक्रय का एकाधिकार रखने वाले संस्थान जिनका प्रथम उद्देश्य सामाजिक हेतु होता है, कानून उनकी उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी पहले से, सरकार ,सामाजिक दफ्तर कर्मचारी या उपयोगकर्ता

सम्प्रदाय के लिए सुनिश्चित कर सकती है ,या फिर मुआवजा दे कर, ज़ब्त कर, उन्हें सौंप सकती है।

दफा 44

ज़मीन का उचित उपभोग हो सके और वह सभी नागरिको के बीच बराबर हिस्सो में बाँटी जाए इस इरादे को सुनिश्चित करने के लिए कानून ने व्यक्तिगत जमीन संबंधी शर्ते और नियन्त्रण बनाए है, जिनके अनुसार हर राज्य और कृषिक ज़िले में व्यक्तिगत जमीन के आकार की सीमा नियत है, हर अनउपजाऊ जमीन को उभारना की जिम्मेदारी दी गई है और उसकी उन्नति में मदद दी जाती है, हर बड़ी जायदादी- ज़मीन को बदलने और उसके फिर से व्यवस्थापन जरूरी है, हर छोटे या माध्यम आकार वाले कृषिक उघोग को सहायता मिल सकती है।

दफा 45

यह गणराज्य, सहकारी संघटनो के सामाजिक प्रकार्य को मानता है, जिनकी सृष्टि, परस्पर आपसी सहयोग से और व्यापारी लाभ के लिए नहीं की गई है । कानून ने उनकी उन्नति संबंधी योग्य साधन और उनके स्वरुप व उद्देश्य पर नज़र रखने के लिए शर्ते और नियन्त्रण बनाए है। कानून, दस्तकार सम्प्रदाय की सुरक्षा और उन्नति में मदद करता है।

दफा 46

व्यवसाय की आर्थिक उन्नति व सुधार के साथ ,उत्पादन की ज़रूरत के अनुरूप, यह गणराज्य उद्योग के प्रबंधन और संचालन में, मजदूरो के एक साथ कार्य करने अधिकार को मानता है, अगर यह अधिकार कानून द्वारा बनाई सीमाओ का उल्लंघन ना करे।

दफा 47

यह गणराज्य बचत के हर सवरूप को प्रोत्साहन और सुरक्षा देता है, वह हर ऋण व जमाशेष संबंधी हर समवाय को नियम बंद्ध, संयोजित, नियन्त्रित करता है।

यह गणराज्य, रहने के लिए घर खरीदेने पर, खेती के लिए जमीन खरीदने पर, बड़े सरकारी उघोगो में पैसा लगा कर या अन्य तरीको से शेयर खरदीने पर, नागरिको की विभिन्न प्रकार से साहायता प्रदान करता है।

दफा 48

हर नागरिक , पुरूष या नारी जिनकी वयस्क उम्र हो गई है ,चुनाव के दौरान वोट देने के अधिकारी हैं।

वोट हमेशा व्यक्तिगत ,सम ,स्वतंत्र और गुप्त होता है ,इसलिए इस अधिकार का इस्तेमाल करना हर नागरिक की राजनैतिक जिम्मेदारी है।

कानून ने विदेश में रहने वाले अपने नागरिको के वोट संबंधी विधि/ पद्धति और नियम बनाऐ है जो के इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, निरीक्षण करते रहते हैं। इस कारण लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव के दौरान विदेश संबंधित एक चुनाव-क्षेत्र स्थापित की गया है, जिसके सदस्यों की संख्या संविधानिक काय़दो और कानूनी प्रबंध अनुसार तय की जाती है।

वोट देने के अधिकार पर कोई बंधन नहीं है, सिवाय जब वैधानिक अयोग्यता या अखण्डनीय सज़ा का हुक्म हो या फिर कानून द्वारा कुछ स्थितियों में नैतिक अयोग्य ठहराया गया हो ।

दफा 49

हर नागरिक को पूरा अधिकार है के वह स्वतंत्र रूप से किसी भी राजनितिक दल की तरफ से लोकतान्त्रिक ढंग से चुनाव लड़े और इस देश की विचार धारा निश्चित करने में सहयोग करे।

दफा 53

हर नागरिक को अपनी राजकर देने की क्षमता अनुसार, सामाजिक खर्चों में सहयोग देना चाहिए।

शुल्क निर्धारण करने की प्रणाली, समानान्तर श्रेणी पर आधारित की गई है।

दफा 54

हर नागरिक का कर्तव्य है के वह देश प्रति निष्ठावान हो और उनका आचरण देश के संविधान व कानून अनुसार होना चाहिए।

जिन नागरिको को सामाजिक-सरकारी पदवी के लिए नियुक्त किया गया है उनका कर्तव्य है के वह पूरे मान व अनुशासन से उस कार्य को निभाए, अगर कानून अनुसार, कुछ स्थितियों जरूरी हो तो, उन्हें शपथ भी ग्रहण करनी होगी।